24/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गिड़ा में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एकपसीम बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का निशानबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर निशान-बन्दी मौके पर कुल्क जमाकतार करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, गिड़ा)

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 421 दिनांकः– 24 / 05 / 2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री नवलाराम पुत्र धीराराम, जाति–जाट, निवासीयान्–लेगों की ढाणी, गिडा तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

1. श्री बाबुराम पुत्र आदुराम वगैरा जातियान्–जाट, निवासीयान्–लेगों की ढाणी, गिड़ा तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :– 02 / 18

आदेश

मौजा लेगों की ढाणी पटवार हल्का गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 07, 58 / 04 रकबा कमशः 104, 33.13 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–24 / 05 / 2018

कमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 422-26
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, गिड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नवलाराम पुत्र धीराराम।
4. विप्रार्थी श्री बाबुराम पुत्र आदुराम वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

यह आवेदन पेष किया हैं।